



# उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

## प्रेस विज्ञप्ति

### यूजेवीएन लिमिटेड

के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 (द्वितीय नियन्त्रण अवधि)  
के लिए बहुवर्षीय टैरिफ पिटिशन एवं व्यापार योजना हेतु

### टैरिफ आदेश : मुख्य बिन्दु

- यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा संचालित पुराने 09 बड़े विद्युत गृहों (ढकरानी, ढालीपुर, छिबरो, खोदरी, कुल्हाल, रामगंगा, चीला, मनेरी भाली-1 एवं खटीमा) एवं मनेरी भाली-2 विद्युत गृह के वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (Annual Performance Review) तथा व्यापार योजना के अनुमोदन एवं द्वितीय नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ पिटिशन (MYT) के साथ वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सहीकरण (Truing-up) हेतु आयोग के समक्ष दिनांक 30 नवम्बर, 2015 को पिटिशन, निर्धारण हेतु प्रस्तुत की गई।
- इस टैरिफ आदेश में यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत पिटिशन एवं तदोपरान्त आयोग को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के संवीक्षोपरान्त आयोग द्वारा निम्न अनुमोदन किये गये:-
  - a) पुराने 09 बड़े विद्युत गृहों (ढकरानी, ढालीपुर, छिबरो, खोदरी, कुल्हाल, रामगंगा, चीला, मनेरी भाली-1 एवं खटीमा) के वित्तीय वर्ष 2014-15 का अंतिम सहीकरण (**final truing up**)।
  - b) मनेरी भाली-2 विद्युत गृह के वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2014-15 का अंतिम सहीकरण (**final truing up**)।
  - c) पुराने 09 बड़े विद्युत गृहों एवं मनेरी भाली-2 विद्युत गृह के वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (**Annual Performance Review**)।
  - d) व्यापार योजना पिटिशन का अनुमोदन।
  - e) बहुवर्षीय टैरिफ के अन्तर्गत द्वितीय नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 के टैरिफ का निर्धारण।
- यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा अपने पुराने 09 बड़े विद्युत गृहों हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के सहीकरण के विपरीत कुल ₹0 11.33 करोड़ का surplus दिखाया गया था, जिसे परीक्षणोपरान्त आयोग द्वारा ₹0 19.47 करोड़ surplus वित्तीय वर्ष 2014-15 के सहीकरण (Truing-up) लेखों के आधार पर अनुमोदित किया गया। उक्त अनुमोदित धनराशि यूपीसीएल (UPCL) एवं एच.पी.एस.ई.बी. (HPSEB) के साथ उनके निर्धारित भाग के आधार पर समायोजित की जाएगी।
- यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा मनेरी भाली-2 हेतु कुल ₹0 85.84 करोड़ का अन्तर (Gap) दिखाया गया था जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा कुल ₹0 14.96 करोड़ अनुमोदित किया गया।

- कुल सहीकरण (Truing-up) के प्रभाव के अनुरूप यूपीसीएल पर रू0 35.19 करोड़ का surplus तथा एच.पी.एस.ई.बी. (HPSEB) पर रू0 0.76 करोड़ का अन्तर (Gap) आंकलित किया गया। यह धनराशि यूपीसीएल को वापस किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया, जो कि 12 मासिक समान किस्तों के आधार पर अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक वसूली जायेगी।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु यूजेवीएन लि0 द्वारा क्लेम किये गये स्थिर प्रभार एवं आयोग द्वारा स्वीकृत वार्षिक स्थिर प्रभार (AFC) का विवरण (पूर्व टैरिफ आदेश में स्वीकृत वार्षिक स्थिर प्रभार (AFC) के साथ तुलना सहित) निम्न सारिणी में दर्शित है:-

वार्षिक स्थिर प्रभार (रू0 करोड़)

उत्पादन गृह	FY 2015-16	FY2016-17		FY2017-18		FY2018-19	
	दिनांक 11.04.2015 के APR आदेश में अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित
<b>9 LHPs</b>	<b>263.91</b>	<b>376.69</b>	<b>306.16</b>	<b>476.36</b>	<b>368.44</b>	<b>572.59</b>	<b>413.74</b>
Increase in AFC (%) vis-à-vis previous year		43%	16%	26%	20%	20%	12%
<b>MB-II</b>	<b>218.98</b>	<b>298.79</b>	<b>249.71</b>	<b>298.23</b>	<b>244.60</b>	<b>298.30</b>	<b>239.71</b>
Increase in AFC (%) vis-à-vis previous year		36%	14%	-0.19%	-2.04%	0.02%	-2.00%
<b>Total</b>	<b>482.89</b>	<b>675.48</b>	<b>555.87</b>	<b>774.59</b>	<b>613.04</b>	<b>870.89</b>	<b>653.45</b>
Increase in Total AFC (%) vis-à-vis previous year		40%	15%	15%	10%	12%	7%

\*\*\*